फर्द अहकाम

मनोहरसिंह बनाम करणसिंह व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 06/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	12/08/25	मार्ग / हिस्सा प्रस्तावित नहीं किया गया है। अतः उक्त संदर्भ में प्रार्थी वादी की आपत्ति पोषणीय नहीं है, ना ही उक्त बिंदु वाद का विषय है। अतः प्रार्थनापत्र आपत्ति खारिज फरमाया जावे तथा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट प्रावधानों के सर्वथा अनुकूल होने से कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वाद अंतिम डिक्री फरमाया जावे। हमने उभयपक्ष कारान अधिवक्तागण की बहस सुनी, तथ्यों पर मनन किया पत्रावली वास्ते उचित आदेश / निर्णय दिनांक 19/08/25 को पेश हो। sd/- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर
	19/08/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उभयपक्ष उपस्थित। बहस आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट के तथ्यों पर मनन किया व प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट के गहन अवलोकन व तथ्यों के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि तहसीलदार आमेर द्वारा विधिवत प्रक्रिया व प्रावधानों के दृष्टिगत एवं पक्षकारान के हितों व सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए विधि अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की गई है। जिसके अन्तर्गत पक्षकारान के हितों को सुविधाओं व सरस नरस के सिद्धान्त के अन्तर्गत (रोड फेस, मुख्य sd/-

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

फर्द अहकाम

मनोहरसिंह बनाम करणसिंह व अन्य

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

संख्या 06/2024

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	19/08/25	सड़क पर समानुपातिक अधिकार समान रूप से विभक्त कर प्रस्तुत किया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। प्रार्थी वादी की ओर से आलेखित वादग्रस्त भूमि के आंशिक उत्तरी भाग पर जो तथाकथित कब्जा / अतिक्रमण होना व्यक्त किया गया है, उक्त संदर्भ में कोई साक्ष्य / प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है, ना ही तहसीलदार आमेर अथवा उक्त उत्तरी भाग के प्रस्तावित / प्रभावित (कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार) हकदारखातेदार द्वारा ऐसा कोई अंकन / कथन व्यक्त किया गया है, ना ही अन्य किसी भी पक्षकार द्वारा व्यक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त भी उक्त तथाकथित कब्जा सम्बन्धी आपत्ति वाद का विषय भी नहीं है। प्रार्थी वादी द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट की गुणवत्ता के संदर्भ में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं करते हुए मात्र तकनीकी व अन्य औपचारिक अभिकथनों मात्र के आधार पर आपत्ति व्यक्त की गई है। जिसके संदर्भ में कोई मान्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः तथ्यों के दृष्टिगत आपत्ति स्वीकार्य नहीं होने तथा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट प्रावधानों के अनुकूल प्रतीत होने से प्रस्तुत आपत्ति खारिज की जाती है तथा तहसीलदार आमेर की ओर से वाद अधीन भूमि आराजी खसरा नं. 239, 240, 242 कुल खसरा किता 03 कुल रकबा 0.6712 है. वाके ग्राम पूठकाबास तहसील आमेर जिला जयपुर के संदर्भ में प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वादबाबत अंतिम डिक्री [illegible] है तथा तहसीलदार [illegible] को निर्देशित किया जाता है कि sd/-	P.T.O.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.08.29 14:59:41 IST
Reason: SelfAttested

फ़र्द अहकाम

मनोहरसिंह बनाम करणसिंह व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 06/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	19/08/25	पक्षकारान को प्रस्तावित खाता/रकबा अनुसार कब्जा सुपुर्द करें। तब तक उभयपक्षकारान मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखेंगे। पर्चा डिक्री जारी। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.08.29 14:59:41 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय** जयपुर
इजलास **डॉ लक्ष्मीनारायण बुनकर, आर.ए.एस**
वाद संख्या : 06/2024

निर्णय दिनांक : 19.08.2025

मनोहर सिंह पुत्र महोबसिंह जाति राजपूत
निवासी मकान नं. 29, वाटर वर्कस, पंचायत भवन के पास, मानपुरा माचेडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. करण सिंह पुत्र प्रभू सिंह
2. गोरख सिंह पुत्र भंवर सिंह
3. नरेन्द्र पुत्र प्रभू सिंह
4. युवराज सिंह पुत्र दशरथ सिहं
5. रणधीर सिंह पुत्र किशोर सिंह
6. विजेन्द्र सिंह पुत्र दशरथ सिंह
7. विमला कंवर पत्नी दशरथ सिंह
8. श्रवण सिंह पुत्र भंवर सिंह
9. रामसिंह पुत्र स्व. सतीबक्स सिंह
10. मूल सिंह पुत्र पुत्र स्व. सतीबक्स सिंह
11. सुप्यार कंवर पत्नी भंवर सिंह
12. सोहन कंवर पुत्री दशरथ सिंह

समस्त जाति राजपूत निवासीगण वाटर वर्कस, पंचायत भवन के पास, मानपुरा माचेडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर।
14. उप पंजीयक आमेर, तहसील आमेर, जरिये सब रजिस्ट्रार।
15. सरवेली एग्रो अवेयर एलएलपी जरिये अधिकृत पार्टनर नरसीलाल मीणा पुत्र मांगीलाल मीणा पंजीकृत कार्यालय 53, गुर्जर घाटी एयरफोर्स स्टेशन आमेर रोड जयपुर

..प्रतिवादीगण

वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

वलोकन अनुसार कुरेजात रिपोर्ट विधिपूर्वक व विधिसंम्मत रूप से तैयार कर प्रस्तुत की गई प्रदर्शित होती । अतः वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 239, 240, 242 कुल किता 3 कुल रकबा 0.6712 हैक्टेयर वाके ग्राम नपुरा माचेडी के संदर्भ में प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वाद वादीगण निम्नानुसार अंतिम डिक्री किया जाता प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शा निर्णय/डिक्री का अजूज हिस्सा रहेगी।

वर्तमान जमाबन्दी प्रविष्टि

खाता संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
1	करण सिंह पुत्र प्रभू सिंह हि. 1/8, गोरख सिंह पुत्र भंवर सिंह हि. 1/36, नरेन्द्र सिंह पुत्र प्रभू सिंह हि. 1/8, मनोहर सिंह पुत्र महोब सिंह हि. [illegible] सिंह पुत्र दशरथ सिंह हि. 1/48, रणधीर सिंह पुत्र किशोर सिंह हि. 1/12, विजेन्द्र सिंह पुत्र दशरथ सिंह हि. 1/48, विमला कंवर पत्नी दशरथ सिंह हि. 1/48 श्रवण सिंह पुत्र भंवर सिंह हि. 1/36, सतीबक्स सिंह पुत्र महोब सिंह हि. 1/4, सुप्यार कंवर पत्नी भंवर सिंह हि. 1/36, सोहन कंवर पुत्री दशरथ सिंह हि. 1/48 जाति राजपूत सा.देह खातेदार	239 240 [illegible]	0.19 0.2312 [illegible]	बारानी 1 बारानी 1 [illegible] 1	5.37
	कुल किता	3	0.6712	–	5.37

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.08.29 14:59:41 IST
Reason: SelfAttested

क कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित प्रविष्टि

क्रम संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
1	रणधीर सिंह पि. किशोर सिंह हि. 1/3, युवराज सिंह विजेन्द्र सिंह पि. दशरथ सिंह हि., सोहन कंवर पुत्री दशरथ सिंह, विमला कंवर पत्नी दशरथ सिंह हि. 1/3, गोरख सिंह श्रवण सिंह पि. भंवर सिंह, सुप्यार कंवर पत्नी भंवर सिंह हि. 1/3 जाति राजपूत सा.देह	239 240	0.11 0.0578		
	कुल किता	2	0.1678		
2	सरवेली एग्रो अवेयर एलएलपी जरिये अधिकृत पार्टनर नरसीलाल मीणा पुत्र मांगीलाल मीणा पंजीकृत कार्यालय 53, गुर्जर घाटी एंयरफोर्स स्टेशन आमेर रोड जयपुर	239/1 240/1 242/2	0.08 0.0578 0.03		
	कुल किता	3	0.1678		
3	मनोहर सिंह पुत्र महोब सिंह जाति राजपूत सा.देह खातेदार	240/2 242/1	0.0578 0.11		
	कुल किता	2	0.1678		
4	सतीबक्स सिंह पुत्र महोब सिंह (रामसिंह, मूलसिंह पि. सतीबक्स सिंह) जाति राजपूत सा.देह खातेदार	240/3 242	0.0578 0.11		
	कुल किता	2	0.1678		

उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी का विभाजन मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग–अलग खाता व लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करते हुए पक्षकारान को प्रस्तावित रकबा अनुसार कब्जा सुपुर्द करे एवं साथ ही उभयपक्षकारान को आदेशित किया जाता है कि वे उक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने तक मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे।

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19.08.2025 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

ओहदा ....

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	02		स्टाम्प अर्जी	02	
स्टाम्प वह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे ... के ... दिया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.08.29 14:59:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर